भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(14) समक्ष न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र.

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/3808

पुनरीक्षण प्र0 क0 – ....

1 राधेलाल आयु वयस्क आ0 भग्गा जाति काछी

2 नरेन्द्र आयु वयस्क आ0 मेहरबान सिंह जाति कुर्मी

3 फूलचंद आयु वयस्क आ0 दयाराम विश्वकर्मा जाति लोहार

4 नंदलाल आयु वयस्क आ0 बालचंद गौर जाति कुर्मी

(142)

समस्त निवासी बाडी खुर्द तहसील बाडी

जिला रायसेन...पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण

अभिभाषक श्री .... द्वारा आज दिनांक 14.9.2017 को पेश।

बनाम

फूलचंद गौर आयु वयस्क आ0 रामस्वरूप गौर जाति कुर्मी

निवासी बाडी खुर्द तह0 बाडी जिला रायसेन म0 प्र0 ....प्रतिप्रार्थी / अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959

आयुक्त कार्यालय दि. 26/9/17 प्रस्तुत किया गया।

माननीय महोदय,

पुनरीक्षणकर्तागण राजस्व निरीक्षक मण्डल बाडी तहसील ,बाडी जिला रायसेन म0 प्र0 के सीमांकन रा0 प्र0 कमांक 20 / अ–12 / 2016–17 फूलचंद विरूद्ध शासन मे सीमांकन आदेश दिनॉक 26 / 04 / 17 एवं सीमांकन दिनॉक 19 / 05 / 17 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत करते है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भूरा/17/3808 [राधेलाल/फूलचंद]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2- आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक बाडी तहसील बाडी जिला रायसेन के सीमांकन प्रकरण क्र. 20/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 19-5-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को बिना सूचना दिये त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार तथा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है, इसलिये सीमांकन कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है । 4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये । 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् उभयपक्षों को सूचना दी जाकर उनकी उपस्थिति में तथा स्थल निरीक्षण किया जाकर नक्शा, फील्डबुक, पंचनामा आदि तैयार मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुरूप प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है । पंचनामें पर आवेदकपक्ष द्वारा हस्ताक्षर भी किये गये है, इसलिये आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि उसे सीमांकन की सूचना नहीं दी गई है । अत: राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । 6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक बाडी तहसील बाडी जिला रायसेन के द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 19-5-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	